संख्या-416 /2021/2021/41-1002(001)/66/2021-10(जि0यो0)/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 5 जुलाई, 2022**

विषय:-जिला योजना वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत जनपद वाराणसी स्थित कपिलधारा पर धर्मशाला नं0 2 के नवीनीकरण/सौन्दर्यीकरण विकास कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-2143/7-1-1/(जि0यो0)/मूल0पत्रा0-3/2021-22, दिनांक 24 जून, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी स्थित कपिलधारा पर धर्मशाला नं0 2 का नवीनीकरण/सौन्दर्यीकरण विकास कार्य कराये जाने हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल) द्वारा गठित आगणन की धनराशि के सापेक्ष मूल्यांकित लागत रू0 8.30 लाख के अनुसार शासनादेश संख्या-573/2021/आई/110897/41-1002(001)/66/2021-10(जि0यो0)/2021, दिनांक 30.10.2021 द्वारा निम्नवत् प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

क्र0	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था	मूल्यांकित लागत की प्रशासकीय स्वीकृति (रूपये लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति (रूपये लाख में)
1	जनपद वाराणसी स्थित कपिलधारा पर धर्मशाला नं0 2 का नवीनीकरण/सौन्दर्यीकरण विकास कार्य के सम्बन्ध में।	यूपीपीसीएल	रू0 8.30 लाख (रूपये आठ लाख तीस हजार मात्र)	4.15 लाख (रूपये चार लाख पन्द्रह हजार मात्र)

3. उक्त के सम्बन्ध में अपने आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत योजना को राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में ओवरआल टूरिज्म डेवलपमेन्ट के अन्तर्गत पंचकोसी परिक्रमा पंचम पड़ाव कपिलधारा में समाहित करते हुए कपिलधारा पर धर्मशाला नं0-2 का नवीनीकरण/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजना के कार्य कराये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा प्राप्त धनराशि रू0 4.15 लाख (रूपये चार लाख पन्द्रह हजार मात्र) को राजकोष में जमा कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत जिला योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-573/2021/आई/110897/41-1002(001)/66/2021-10 (जि0यो0)/ 2021, दिनांक 30.10.2021 को निरस्त किया जाता है। प्रश्नगत योजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 4.15 लाख (रूपये चार लाख पन्द्रह हजार मात्र) को नियमानुसार राजकोष में तत्काल जमा कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, वाराणसी ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up. gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्टन कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल) लखनऊ।
9- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यूपीपीसीएल) वाराणसी।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- पर्यटक अधिकारी, वाराणसी एवं विन्याचल मण्डल, वाराणसी।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।